Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला बारां में हैड कानिस्टेबल 15,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, दलाल के माध्यम से ली रिश्वत राशि।

जयपुर, दिनांक 03 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बारां द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी **रामनिवास हाल हैड कानिस्टेबल नम्बर 1445, पुलिस थाना कवाई, जिला बारां** को परिवादी गिर्राज नागर के विरूद्ध आईन्दा एक्ट की कार्यवाही एवं झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने की एवज में **दलाल हंसराज राठी पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम कोहनी, थाना कवाई, जिला बारां** के माध्यम से **15,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बारां को एक शिकायत इस आशय की मिली कि थाना कवाई पर पदस्थापित रामनिवास, हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी के विरूद्ध एक्ट की कार्यवाही एवं झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने की एवज में 70,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है। जिस पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी रामनिवास, हैड कानिस्टेबल, थाना कवाई द्वारा 15,000/– रुपये की रिश्वत मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओम प्रकाश मीना** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी बारां के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कालू राम वर्मा** के नेतृत्व में टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी रामनिवास, हैड कानिस्टबल को दलाल हंसराज राठी के माध्यम से 15,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी द्वारा रिश्वत राशि परिवादी के गांव के हंसराज राठी, दलाल को दिलवाई गई। जिसे ए.सी.बी. टीम द्वारा बरामद कर लिया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।